न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
875 / 2024	11.09.2024	11.09.2024

उनवान

1. श्री जगदीश पुत्र श्री रामा जाति भील निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
2. श्री भैरू पुत्र श्री सुखपाल भील निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
3. श्री भंवर पुत्र भुवाना भील निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नि श्री कैलाश मीणा निवासी शास्त्री नगर, भीलवाड़ा राज.।
2. श्री लाल पुत्र श्री मांगू भील निवासी आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा राज.
3. श्री लिम्बाराम पुत्र श्री जोधा मीणा निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
4. श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री कंवर लाल मीणा निवासी आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।
5. श्रीमती गुलाबी देवी पुत्री गिरधारी गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. श्री गोमा पुत्र श्री हजारी गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
7. श्री देवी लाल पुत्र श्री गिरधारी गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
8. श्रीमती मांगी पत्नि श्री गिरधारी गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
9. श्रीमती माया देवी पत्नि श्री गिरधारी गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. श्री सुवा पुत्र श्री हजारी गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
11. श्रीमती जुम्मा पत्नि श्री सुरजमल गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा।
12. श्री भंवर पुत्र श्री सुरजमल गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
13. श्री रामलाल पुत्र श्री छीतर गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
14. श्री लादू पुत्र श्री छीतर गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज,
15. श्रीमती सोहनी पत्नि श्री छीतर गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
16. श्री जमना पुत्र श्री रतना बलाई निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
17. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भीलवाड़ा।

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी स्वंय

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—: **निर्णय** :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी हक व आधिपत्यशुदा आराजी संख्या 2224/943 रकबा 0.5311 हैक्टयर, प्रार्थी संख्या 03 के खातेदारी हक व आधिपत्यशुदा आराजी संख्या 2223/943 रकबा 0.5311 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण स्वंय उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालड़ी पटवार हल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी हक व आधिपत्यशुदा आराजी संख्या 2224/943 रकबा 0.5311 हैक्टयर, प्रार्थी संख्या 03 के खातेदारी हक व आधिपत्यशुदा आराजी संख्या 2223/943 रकबा 0.5311 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा